संख्या-40/2019**/894 /71-2-19-के0एस0-1/2014टी0सी0**

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान एण्ड हास्पिटल,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 03 मई, 2019

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु वित्तीय स्वीकृत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-डी0आई0आर0/सी0आई0/015/102/2019, दिनांक 03-04-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान एवं हास्पिटल, सी0जी0 सिटी लखनऊ की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-726/71-2-15-के0एस0-1/2014, दिनांक 26 फरवरी, 2015 द्वारा रू0 854.5145 करोड की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत कुल रू0 51436.00 लाख एवं अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत रू0 5896.885 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 57332.885 लाख की निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है:-

क्र0	शासनादेश/दिनांक	अनुदान संख्या	निर्गत धनराशि (रू0 लाख में)
1	1391/71-2-2014-केएस0-01/2014, दि0-15.07.2014	अनुदान संख्या-31	700.00
2	38/2015/1128/71-2-2015-के0एस0-01/2014, दि0 30.03.2015	अनुदान संख्या-31	3118.50
3	86/2015/3961/71-2-2015-के0एस0-01/2014, दि0 20.10.2015	अनुदान संख्या-31	21078.05
4	121/2016/4079/71-2-16-के0एस0-01/2014 दिनांक 13.10.2016	अनुदान संख्या-31	18939.45
5	87/2017/5857/71-2-17-के0एस0-01/2014 दिनांक 15.12.2017	अनुदान संख्या-31	3750.00
6	36/2018/949/71-2-18-के0एस0-01/2014 दिनांक 08.03.2018	अनुदान संख्या-31	3750.00
7	114/2018/2309/71-2-2018-के0एस0-01/2014 दि0 20.08.2018	अनुदान संख्या-31	100.00
		योग-	51436.00
8	1146/71-2-2015-के0एस0-01/2014 दिनांक 31.03.2015	अनुदान संख्या-83	654.885
9	87/2015/3962/71-2-15-के0एस0-01/2014 दिनांक 29.10.2015	अनुदान संख्या-83	1060.50
10	122/2016/4175/71-2-16-के0एस0-01/2014 दिनांक 13.10.2016	अनुदान संख्या-83	1060.50
11	88/2017/5885/71-2-17-के0एस0-01/2014 दिनांक 15.12.2017	अनुदान संख्या-83	787.50
12	37/2018/953/71-2-2018-के0एस0-01/2014 दिनांक 08.03.2018	अनुदान संख्या-83	273.00
13	115/2018/2156/71-2-2018-के0एस0-01/2014 दि0 20.08.2018	अनुदान संख्या-83	1060.50
14	28/2019/364/71-2-19-के0एस0-01/2014टी0सी0 दि0 12.03.2019	अनुदान संख्या-83	1000.00
		योग-	**5896.885**
		कुल योग(**31+83**)	**57332.885**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से जनपद लखनऊ में उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान की स्थापना हेतु रू0 5,00,00,000/-(रूपये पॉच करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना हेतु निर्गत उक्त शासनादेश में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, संस्थान की होगी। वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22-03-2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रायोजना के लिए नहीं किया जायेगा तथा व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
5) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/संस्थान के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
6) धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक, कैंसर संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
7) प्रायोजना की मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 26-02-2015 की शर्ते यथावत लागू रहेगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-24-कैंसर संस्थान, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या-40**/2019/894(1) /71-2-19-तद्दिनांक**-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. वित्त अधिकारी, सु0स्पे0कैंसर संस्थान लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0 लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in